देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/21 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2020

जे.डी.ए. ,आबकारी विभाग और तहसील कार्यालय सांगानेर के जिम्मेदार अधिकारी बने गूंगे और बहरे

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,बताइए!!

कृषि भूमि पर चल रही अंग्रेजी शराब की दूकान और कृषि के काम आने वाले ट्यूबवेल के पानी को बेचने वाले टेंकर माफिया की दूकान को कब बन्द करेंगे जिम्मेदार?

पिछले 2 साल से चेता रहे जिम्मेदारों को परन्तु जिम्मेदारों के कान पर जूं नहीं रेंगती|

पिछले साल स्थानीय निवासियों द्वारा जानकारी दी गयी कि सांगानेर तहसील के देवरी ग्राम में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 318 एवं 320 की जमीन पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए काश्तकार द्वारा व्यवसायिक दुकाने बना ली गयी है,जिनमे एक में आबकारी विभाग से शराब की दूकान का लाईसेंस लेकर अंग्रेजी शराब की दूकान संचालित की जा रही है वहीँ दूसरी दूकान में वाटर सप्लाई का ऑफिस खोलकर इसी कृषि भूमि में स्थित ट्यूबवेल के पानी को घर.ऑफिस,फेक्ट्रीयों में बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है|हमारे द्वारा इस प्रकरण की जानकारी जे.डी.ए.,आबकारी विभाग और तहसीलदार सांगानेर के जिम्मेदार अधिकारियों को दी गयी|

सांगानेर तहसील के देवरी ग्राम में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 318 एवं 320 की जमीन पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए चल रही व्यवसायिक गतिविधियाँ एवं इनसेट फोटो में ट्यूबवेल से पानी भर कर बेचता पानी माफिया का टेंकर

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

सुनिए कलेक्टर महोदय,कृषि भूमि पर चल रही इन दुकानों के बारे में जिम्मेदार क्या कहते है?

हमारे द्वारा तीनों विभागों को गत वर्ष अप्रेल माह में उक्त दुकानों के नियम विरुद्ध संचालन की जानकारी देकर कार्यवाही करने का आग्रह किया गया था|आज डेढ़ साल बाद इन दुकानों की क्या स्थिति है और जिम्मेदार विभाग क्या कहते है,इससे आपको रूबरू करवाते है|

तीन विभाग तीन जवाब कार्यवाही कुछ नहीं

(1) जे.डी.ए. की प्रवर्तन शाखा ने की नोटिस देने की कागजी खानापूर्ति

इस मामले की जानकारी होने पर हमारे द्वारा दिनांक 25/04/2019 को जे.डी.ए. के अधिकारियों को शिकायत की गयी थी|जिस पर कार्यवाही करते हुए प्रवर्तन अधिकारी ज़ोन-5 द्वारा उपायुक्त कार्यालय से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी|इस विषय में ज़ोन-5 के अमीन और जे.ई.एन की मौक़ा रिपोर्ट से सामने आया कि यह शराब की दूकान देवरी ग्राम के खसरा संख्या 318 एवं 320 की कृषि भूमि पर बनी हुई है|और जे.डी.ए.अधिनियम के अनुसार कृषि भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकती है|ज़ोन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 27/06/19 को धारा 32 के तहत नोटिस दिया गया|परन्तु नोटिस देने के डेढ़ साल बीत जाने पर भी जे.डी.ए. इस व्यवसायिक गतिविधि (शराब की दूकान) को सील नहीं कर रहा|जिस दूकान में वर्तमान में अंग्रेजी शराब का ठेका चल रहा है,अवैध निर्माणकर्ता द्वारा उस शेड का निर्माण तीन साल पहले करवाया गया था| और बिल्डिंग मेटेरियल की सप्लाई कर व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था|इसी निर्माण को अवैध मानते हुए प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तीन साल पहले धारा 32 के तहत नोटिस भी दिया गया था|अपने जवाब में अवैध निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया उसके द्वारा इस कृषि भूमि पर कभी तो मैरिज गार्डन चलाया गया है तो कभी बिल्डिंग मेटेरियल की दूकान|वर्तमान में इस जगह पर शराब की दूकान का संचालन किया जा रहा है|जो कि किसी भी हाल में अनुज्ञेय नहीं की जा सकती|भूमि धारक को हर हाल में भूमि का उपयोग परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जे.डी.ए. को इसे सील करनी ही पड़ेगी|

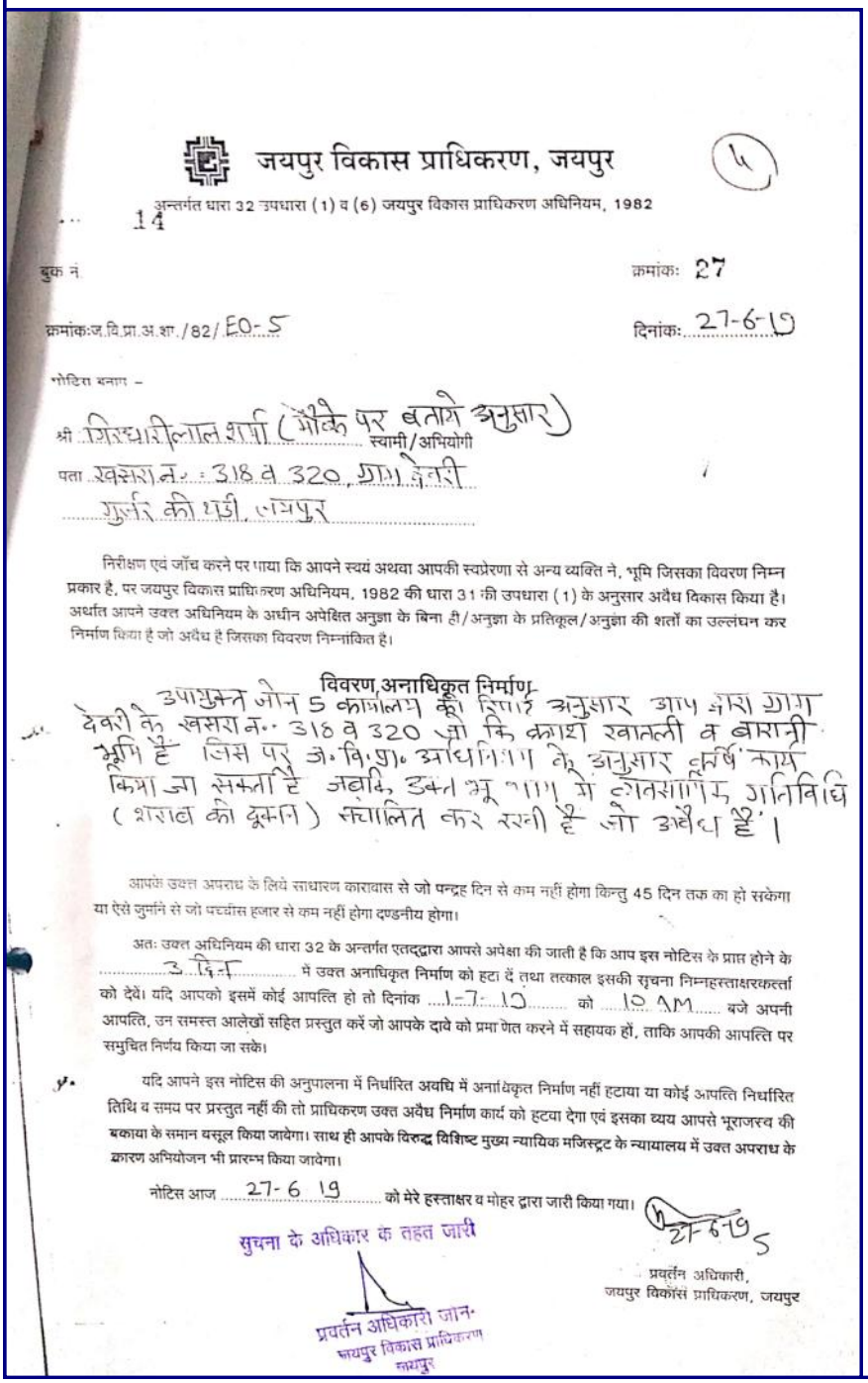

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(4)

अन्तर्गत धारा 32 उपधारा (1) व (6) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

14

बुक नं

क्रमांक: 27

क्रमांक:ज.वि.प्रा.अ.शा./82/ EO-5

दिनांक: 27-6-19

नोटिस बनाम –

श्री गिरधारीलाल शर्मा (मौके पर बताये अनुसार) स्वामी/अभियोगी

पता खसरा नं॰ 318 व 320, ग्राम देवरी गुर्जर की थड़ी, जयपुर

निरीक्षण एवं जाँच करने पर पाया कि आपने स्वयं अथवा आपकी स्वप्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने, भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है, पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार अवैध विकास किया है। अर्थात आपने उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना ही/अनुज्ञा के प्रतिकूल/अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है जो अवैध है जिसका विवरण निम्नांकित है।

विवरण,अनाधिकृत निर्माण

उपायुक्त जोन 5 कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार आप द्वारा ग्राम देवरी के खसरा नं॰ 318 व 320 जो कि कास्त खातली व बारानी भूमि है जिस पर जे.वि.प्रा. अधिनियम के अनुसार कृषि कार्य किया जा सकता है जबकि उक्त भूमि पर व्यवसायिक गतिविधि (शराब की दूकान) संचालित कर रखी है जो अवैध है।

आपको उक्त अपराध के लिये साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के 3 दिन में उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटा दें तथा तत्काल इसकी सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को देवें। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 1-7-19 को 10 AM बजे अपनी आपत्ति, उन समस्त आलेखों सहित प्रस्तुत करें जो आपके दावे को प्रमाणित करने में सहायक हों, ताकि आपकी आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

यदि आपने इस नोटिस की अनुपालना में निर्धारित अवधि में अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत नहीं की तो प्राधिकरण उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटवा देगा एवं इसका व्यय आपसे भूराजस्व की बकाया के समान वसूल किया जावेगा। साथ ही आपके विरुद्ध विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट के न्यायालय में उक्त अपराध के कारण अभियोजन भी प्रारम्भ किया जावेगा।

नोटिस आज 27-6-19 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

27-6-19

सूचना के अधिकार के तहत जारी

प्रवर्तन अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रवर्तन अधिकारी जोन-
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

(2) सांगानेर तहसील के पटवारी साहब ने जारी किया इस कृषि भूमि पर चल रहे बोरिंग के निजी उपयोग का सर्टिफिकेट

इस कृषि भूमि पर स्थित ट्यूबवेल के पानी के व्यवसायिक बेचान की शिकायत हमारे द्वारा संभागीय आयुक्त जयपुर को की गयी जहाँ से यह शिकायत घुमती घामती तहसीलदार सांगानेर के पास पहुची जिस पर 24/09/2020 को कार्यवाही करते हुए तहसील के पटवारी महोदय ने बताया कि ***ट्यूबवेल निजी खातेदारी की कृषि भूमि पर स्थित है जो कि निजी उपयोग में काम में लिया जा रहा है|***

53	, , ,	Revenue , Tehsildar , (Administration) , Tehsil, Sanganer	Allocated	14-Sep-2020	परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषित कर दी गयी है
54	Revenue , Tehsildar , (Administration) , Tehsil, Sanganer	, , ,	Remarks	24-Sep-2020	महोदय हल्का पटवारी द्वारा जाँच कराई गयी ट्यूबवेल निजी खातेदारी की कृषि भूमि में स्थित है जो की निजी उपयोग में काम लिया जा रहा है

अब कोई पटवारी महोदय से पूछें कि जब वह मौके पर गए तो उन्होंने ऐसा क्या देखा की उन्होंने इस ट्यूबवेल के पानी के निजी उपयोग को प्रमाणित किया,क्या उन्हें इस कृषि भूमि पर चल रही शराब ,बिल्डिंग मेटेरियल और वाटर सप्लायर की दुकाने नही दिखी?क्या उनके अनुसार यह दुकाने व्यवसायिक गतिविधियाँ नहीं कर रही है?क्या इस कृषि भूमि पर कृषक का निजी घर बना हुआ है या फिर इस भूमि पर खेती की जा रही है,जिसके चलते पटवारी महोदय ने इस बोरिंग के पानी के निजी उपयोग का सर्टिफिकेट जारी कर दिया?

(3) आबकारी विभाग कहता है कि हमें दूकान की जमीन के कृषि होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूकान आबकारी नियम 75 के अनुसार,जबकि पास ही चल रहे कोचिंग संस्थान

गुर्जर की थडी से गोपाल पूरा बाईपास तक का पूरा मार्ग शैक्षणिक हब बन चूका है|जहाँ पर हजारों विद्यार्थी रोज पढने के लिए आते है|परन्तु यहाँ पर भी आबकारी विभाग द्वारा नियम कायदों को ताक पर रख कर अंग्रेजी शराब की दूकान खोल दी गयी|इस दूकान के 200 मीटर के अंदर कई शैक्षणिक संस्थान,कोचिंग संस्थान संचालित है|जिनमे अभिज्ञान,अभिप्राय,विद्यामंदिर क्लासेज,आई.सी.ए. नामक संस्थान प्रमुख है|

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 (1) का हो रहा सरेआम उल्लंघन

राजस्थान आबकारी नियम 75 (1) के अनुसार किसी भी शराब की दुकान के 200 मीटर के अंदर शैक्षणिक संस्थान,धार्मिक स्थल,अस्पताल नहीं होने चाहिए|

महाविद्यालय या सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्तर से भिन्न स्तर का संस्थान होने पर सम्बंधित दूकान को ,शैक्षणिक संस्थान के बंद होने के एक घंटे बाद खोलने का नियम है|

गुर्जर की थडी,गोपालपुरा बाईपास पर करतारपुरा नाले के पास संचालित शराब की दूकान के 200 मीटर के दायरे में चलने वाले शैक्षणिक संस्थान,जो की हाल फिलहाल बंद है,परन्तु दूकान स्वीकृति के समय चालु थे|जिन्हें अनदेखी कर इस दूकान की लोकेशन स्वीकृत की गयी|

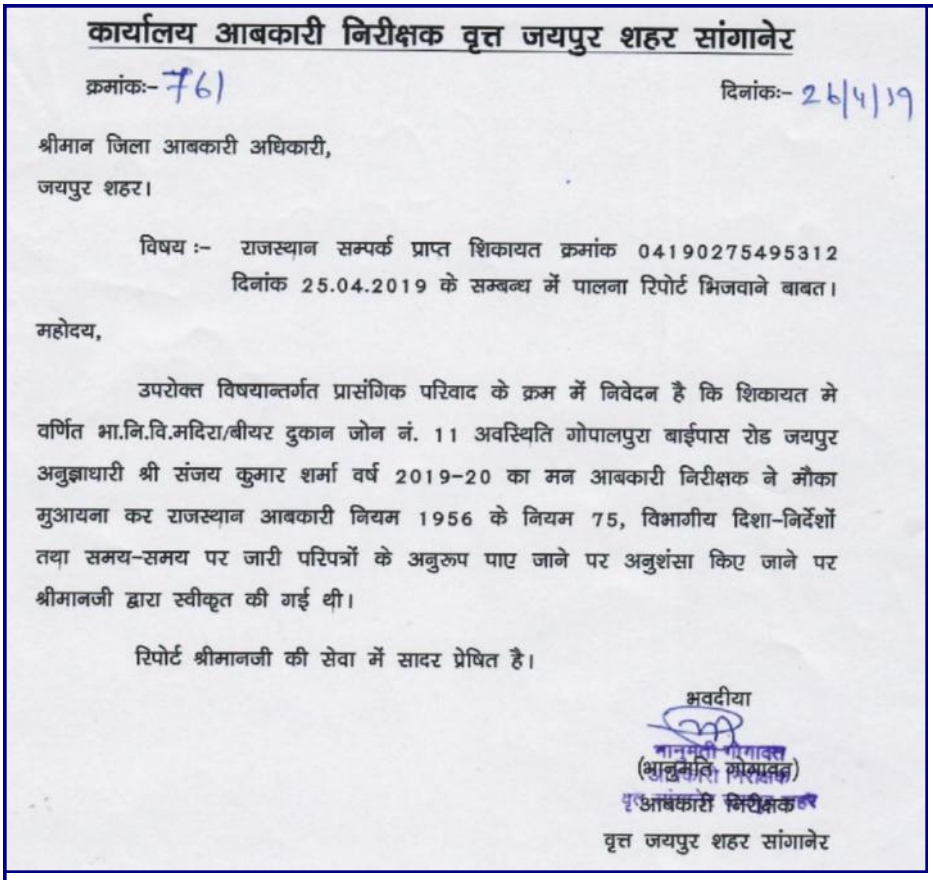

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर सांगानेर

क्रमांकः- 761 दिनांकः- 26/4/19

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर।

विषय :- राजस्थान सम्पर्क प्राप्त शिकायत क्रमांक 04190275495312 दिनांक 25.04.2019 के सम्बन्ध में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिवाद के क्रम में निवेदन है कि शिकायत मे वर्णित भा.नि.वि.मदिरा/बीयर दुकान जोन नं. 11 अवस्थिति गोपालपुरा बाईपास रोड जयपुर अनुज्ञाधारी श्री संजय कुमार शर्मा वर्ष 2019-20 का मन आबकारी निरीक्षक ने मौका मुआयना कर राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75, विभागीय दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुरूप पाए जाने पर अनुशंसा किए जाने पर श्रीमानजी द्वारा स्वीकृत की गई थी।

रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीया
(भानुमति गोमावत)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर सांगानेर

कृषि भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियाँ अनुज्ञेय नहीं|कृषि के पानी का व्यावसायिक उपयोग नही|

नियमों के अनुसार किसी भी कृषि भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियाँ अनुज्ञेय नहीं है|कृषि भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए ही किया जा सकता है,वहीँ सांगानेर तहसील नोटिफाईड एरिये में होने के कारण यहाँ पर भूमि जल का दोहन व्यवसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता|

परन्तु यहाँ पर तो काश्तकार व्यवसायी बन बैठा है और कृषि भूमि से लाखो रुपयों की चांदी काट रहा है|एक और इस कृषि भूमि पर शराब की दुकान को किराये पर दे रखी है जिससे लाखों रुपया महीने का किराया आता है वही कृषि उपयोग के लिए जारी ट्यूबवेल के पानी को घरों,कारखानों में बेच कर तगड़ा मुनाफा कमा रहा है|अब लाखों कमाने वाले व्यवसायी को जिम्मेदार अधिकारियों के सामने चंद हड्डियाँ डालने में क्या परेशानी हो सकती है ,हड्डी देखते ही जिम्मेदारों का मुहँ बंद!!फिर इनसे कोई भी रिपोर्ट तैयार करवा लो,कोई भी कार्यवाही रुकवा दो!यह सब करने को राजी हो जाते है|

जिम्मेदार अधिकारी

क्रम	विभाग	पदनाम	नाम
1.	जे.डी.ए.	पुलिस अधीक्षक महोदय	श्री मामन सिंह
2	जे.डी.ए.	मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय	श्री रघुवीर सैनी
3	जे.डी.ए.	प्रवर्तन अधिकारी महोदय	श्री अशोक सैनी
4	तहसील सांगानेर	तहसीलदार महोदय	श्री मुकेश मीना
5	तहसील सांगानेर	पटवारी महोदय	श्री लक्ष्मण सिंह पालावत
6	आबकारी विभाग,जयपुर	जिला आबकारी अधिकारी महोदय	श्री सुनील भाटी
7	आबकारी विभाग,जयपुर	आबकारी निरीक्षक महोदय	श्रीमति अंकिता माथुर